सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional Commission set up under Art. 338A of the Constitution to investigate and monitor all matters relating to violation of rights and safeguards provided for STs.)

File No. 17/1/Inclusion/2014/RU-III Dated: - 05/12/2014

To,

Shri Rajeev Prakash,
Director,
Ministry of Tribal Affairs,
Shastri Bhawan,
New Delhi- 110001

Sub: Inclusion of 'Bhogta' {भोगता}, 'Deshwari' {देशवारी}, 'Ganjhu' {गंझू}, 'Dautalbandi' ('Dwalbandi') {दौतलबंदी (द्वालबंदी)}, 'Patbandi' {पटबंदी} , 'Raut' {राउत} , 'Maajhia' {माझिया}, and 'Khairi' ('Keri') {खैरी (खेरी)} as synonyms of 'Kharwar' {खरवार} community as Scheduled Tribes in the State of Jharkhand.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 12026/23/2012-C&LM-I dated 22/07/2014 forwarding therewith the proposal for Inclusion of 'Bhogta' {भोगता}, 'Deshwari' {देशवारी}, 'Ganjhu' {गंझू}, 'Dautalbandi' ('Dwalbandi') {दौतलबंदी (द्वालबंदी)}, 'Patbandi' {पटबंदी} , 'Raut' {राउत} , 'Maajhia' {माझिया}, and 'Khairi' ('Keri') {खैरी (खेरी)} as synonyms of 'Kharwar' {खरवार} community as Scheduled Tribes in the State of Jharkhand, State seeking comments of NCST and to say that the subject matter was discussed as Agenda Item No- III in the 62nd meeting of the Commission held on 17/10/2014.

2. The Relevant Extracts from the Summary Record of the meeting of the Commission are enclosed for information and necessary action.

Yours faithfully,

(K. D. Bhansor) Mrs.
Director

Copy with copies of enclosures forwarded for information and necessary action to:-

1. SSA (NIC) for uploading on the Website of NCST
2. Assistant Director (Coordination)

(K. D. Bhansor) Mrs.
Director

62nd MEETING

OF THE

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

SUMMARY RECORD OF DISCUSSIONS

Date: 17th October, 2014 **Time:** 12:00 hours

Venue: Conference Room, NCST, 6th Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.

In the Chair: Dr. Rameshwar Oraon, Hon'ble Chairperson, NCST

List of Participants: Annexed.

All the seven Agenda Items were discussed and decided as below:

Agenda Item III	**Inclusion of 'Bhogta' {भोगता}, 'Deshwari' {देशवारी}, 'Ganjhu' {गंझू}, 'Dautalbandi' ('Dwalbandi') {दौतलबंदी (द्वालबंदी)}, 'Patbandi' {पटबंदी} , 'Raut' {राउत} , 'Maajhia' {माझिया}, and 'Khairi' ('Keri') {खैरी (खेरी)} as synonyms of 'Kharwar' {खरवार} community as Scheduled Tribes in the State of Jharkhand.**

4. Ministry of Tribal Affairs vide letter No.12026/23/2012-C&LM-I dated 03/01/2014 has sought the comments of the Commission, on the Inclusion of 'Bhogta' {भोगता}, 'Deshwari' {देशवारी} , 'Ganjhu' {गंझू}, 'Dautalbandi' ('Dwalbandi') {दौतलबंदी (द्वालबंदी) }, 'Patbandi' {पटबंदी} , 'Raut' {राउत} , 'Maajhia' {माझिया}, and 'Khairi' ('Keri') {खैरी (खेरी)}ए as synonyms of 'Kharwar' {खरवार} community, which is already included as Scheduled Tribe in relation to the State of Jharkhand. The Commission recalled the earlier discussion held in its 52nd meeting on 23/01/2014 wherein it was, inter-alia decided that as the complete details, along with requisite supporting documents/ evidences, about the proposal of the Government of Jharkhand, was not available, a team of the Commission may visit the State and the areas inhabited by the persons belonging to the said Communities, proposed to be specified as Scheduled Tribes, and submit a report for the consideration of the Commission.

5. Pursuant to the decision of the Commission, Dr. Rameshwar Oraon, Chairperson and Shri B.L. Meena, Member NCST visited Jharkhand State from 25/07/2014 to 21/08/2014 and conducted field visits to Chandva Block Village- Bansdiha, Panchayat - Hutap,Village-Chirogam Panchyat – Boda, Village- Kailakhad, Panchayat - Chetar, Block Chandva on 31/07/2014 Ranchi, to ascertain the ground position and submitted a report (Annexure-I). The team of the Commission in its report has mentioned that it would be appropriate to agree with the proposal of the State Govt. to include the Communities' as synonyms of 'Kharwar' listed at Sl.No. 16 in the list of Scheduled Tribes in Jharkhand.

6. After detailed discussions on the report of the team and referring to the deliberations held in the matter in the 52nd meeting of the Commission referred above, the Commission decided to recommend the proposal for Inclusion of 'Bhogta' {भोगता}, 'Deshwari' {देशवारी}, 'Ganjhu' {गंझू}, 'Dautalbandi' ('Dwalbandi') {दौतलबंदी (द्वालबंदी)}, 'Patbandi' {पटबंदी} , 'Raut' {राउत} , 'Maajhia' {माझिया}, and 'Khairi' ('Keri') {खैरी (खेरी)} as synonyms of 'Kharwar' {खरवार} community as Scheduled Tribes in the State of Jharkhand.

Ann-I

<u>सं0 17/1/इनक्लूजन/2014/आर.यू.–3</u>

'खरवार (Kharwar)' समुदाय के पर्याय ''भोग्ता (Bhogta)', 'देशवारी (Deshwari)', 'गंजू (Ganjhu)', 'दौतलबंडी (Dautalbandi)', (दौवलबंडी) (Dwalbndi) 'पटबंडी (Patbandi)', 'रौत (Raut)', 'माझिया (Maajhia)' और 'खैरी (Khairi)' (केरी) (Kari)' जातियों को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, डा. रामेश्वर उरॉव, श्री भैरू लाल मीणा, सदस्य का दिनांक 25/07/2014 से 2/8/2014 तक झारखण्ड राज्य के गॉवों/जन प्रतिनिधियों से चर्चा/दौरा रिपोर्ट ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 12026/23/2012–सी एण्डएलएम–1 दिनांक 03.01.2014 के द्वारा 'खरवार (Kharwar)' समुदाय के पर्याय 'भोग्ता(Bhogta)', 'देशवारी(Deshwari)', 'गंजू (Ganjhu)', 'दौतलबंडी (Dautalbandi)', (दौवलबंडी) (Dwalbndi) 'पटबंडी (Patbandi)', 'रौत (Raut)', 'माझिया (Maajhia)' और 'खैरी (Khairi)' (केरी) (Kari)' जातियों को झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने बाबत् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से टिप्पणी मांगी । जनजातीय कार्य मंत्रालय ने झारखण्ड राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत के महापंजीयक के अ.शा. पत्र सं0 8/1/2012–एसएस (झारखण्ड) दिनांक 18.12.2013 जिसमें भारत के महापंजीयक ने उपरोक्त प्रस्ताव पर अपनी संसतुति की है कि-

(1) This is evident from the published information given in the earlier and contemporary ethnographic literatures, that the proposed eight communities are the sub-tribes of the Kharwar a ST in Jharkhand. They belong to the same tribal stock as their main tribe Kharwar. They have various names according to their occupation as stated above. The type of socio-political organization, kinship system, existence of totemistice exogamous clans, community priest, traditional tribal/political council for resolving the disputes, practice of bride price in marriage, life cycle rituals etc. convey that the above sub-groups of

रामेश्वर उरॉव
डा० रामेश्वर उरॉव
अध्यक्ष
अनुसूचित जनजाति आयोग

Khrawar have retained tribal characteristics from the evidence that despite the close inter-community linkages with neighbouring caste groups over a prolonged period of time they have not been inducted into the local caste hierarchy but have retained their characteristics in socio political, economic and religious fields.

(2) The proposed eight sub groups of Kharwar viz. Bhogta, Deshwari, Ganjhu, Dautalband (Dwalbandi), Patbandi, Raut, Maajhia, Khairi (kheri) are different occupational sub groups of karwar, a ST. They possess specific or distinct culture with primitive traits, educational and economic backwardness akin to a tribal community. The information given in the State Government's study report has the support of published ethnographic literatures of repute.

(3) In view of the facts and analysis in the foregoing report and examination supported the proposal of inclusion of Bhogta (भोगता), Deshwari(देशवारी), Ganjhu(गंझू), Daulatbandi (Dwalbandi) (दौतलबन्दी, द्वालबंदी), Patbandi(पटबन्दी), Raut(राउत), Maajhia (माझिया), Khairi (Kheri) {खैरी (खेरी) }as synonyms of Kharwar (खरवार) in the list of Scheduled Tribes of Jharkhand,

आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक 23.01.2014 को हुई आयोग की 52वीं बैठक में 'खरवार (Kharwar)' समुदाय के पर्याय ''भोगता (Bhogta)', 'देशवारी (Deshwari)', 'गंजू (Ganjhu)', 'दौतलबंडी (Dautalbandi)', (दौवलबंडी) (Dwalbndi) 'पटबंडी (Patbandi)', 'रौत (Raut)', 'माझिया (Maajhia)' और 'खैरी (Khairi)' (खेरी) (Kari)' जातियों को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने बाबत् मद संख्या 5 के अनुसार चर्चा की गयी। आयोग ने मद पर निम्नलिखित विचार व्यक्त गए:–

रामेश्वर उरांव
डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

"Ministry of Tribal Affairs in their letter No. 12026/23/2012-C&LM-I dated 03/01/2014 have sought the comments of National Commission for Scheduled Tribes on the inclusion of "Bhogta"(भोगता), Deshwari (देशवारी), Ganjhu (गंझू), (Dautalbandi) {Dwalbndi} {(डौतलबंदी)द्वालबंदी} Patbandi (पटबंदी), Raut(राउत), Maajhia(माझिया) and Kheri (Keri) {खैरी(खेरी)}, as synonyms of Kharwar {खरवार} community which is already included as Scheduled Tribe in relation to the State of Jharkhand.

As complete details, along with requisite supporting documents/evidences about the proposal of the Government of Jharkhand was not aviable, the Commission decided that a team of the Commission may visit the State and the areas inhabited by the persons belonging to the Communities proposed to be specified as Scheduled Tribes and submit a report for consideration of the Commission before furnishing its views to the sponsoring Ministry".

उपरोक्त निर्णय के अनुसार आयोग के माननीय अध्यक्ष डा0 रामेश्वर उरांव, श्री भैरू लाल मीणा, सदस्य एवं श्रीमती के.डी. बन्सौर, निदेशक और श्री एस.आर. तिरया, अनुसंधान अधिकारी, रांची कार्यालय ने दिनांक 25/07/2014 से 02/08/2014 तक झारखण्ड राज्य के निम्नलिखित गॉवों का दौरा किया :-

<u>चंदवा ब्लॉक के बांसडीहा गांव, पंचायत हुटाप – दिनांक 30.07.2014</u>

गांव	–	बांसडीहा
पंचायत	–	हुटाप
ब्लॉक	–	चंदवा
कुल घर	–	65
कुल जनसंख्या	–	457
पुरूष	–	251
महिला	–	206
स्कूल जाने वाले बच्चे	–	39

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

निम्नलिखित व्यक्तियों एवं महिलाओं से मिलें । पुरूषः टुनू गंझू, छोटेलाल गंझू, कमलेश गंजू, जतरू गंझू, मंगु गंझू, तुलसी गंझू, मीरता गंझू, सबरू गंझू, मनकू गंझू, रती गंझू, मरजादी गंझू, जीतन गंझू, बनारसी गंझू, बिजेन्द्र गंझू, चमरू गंझू, रामधनी गंझू, रामदेव गंझू, छटु गंझू, सबिलू गंझू लखन गंझू, बदलेव गंझू, दसरत गंझू, अकलू गंझू । महिलाएंः शुकरी देवी, तेजनी देवी, शिलू देवी, सुनिता देवी, सुकलतिया देवी, मुनिया देवी, धुनरी देवी, शुकरी देवी, शनिचरिया देवी, सुगिया देवी, रेखा देवी, गुडिया देवी, फूलवा देवी, राजकुमारी देवी, आसरीता देवी, ललिता देवी, सुमिल देवी, झुबली देवी, भूली देवी, लालमणी देवी, रूपमनिया देवी, जिरमनिया देवी, झूबरी देवी एवं फूलचिबीया देवी ।

चंदवा ब्लॉक के बसडीहा गांव की महिलाओं द्वारा अतिथि मानते हुए आयोग का जल लोटा–पानी से पैर धोकर स्वागत किया । गांव घने जंगल के बीच में बसा हुआ है तथा सड़क एवं खडंजा नहीं बने होने के कारण लगभग एक डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर जाना पडा । गांव में वैजंती खरवार भोग्ता से बात–चीत की जिन्होंने अपने आपको खरवार भोगता समुदाय का होना बताया। वैजंती ने अपने देवस्थल भगवान बूढ़ी मां के बारे में बताया तथा स्थल दिखाया जहां पर वह हर शुभ काम करते हैं। शिकार के लिए जाली बनाकर वन्य जीव अर्थात् खरगोश, सूअर आदि पकड़ने के काम में आता है। बलदेव गंजू के घर में जाने पर देखा गया कि ढाकी दाल चावल निकालने के काम में लाया जाता है। तरवा देवी, रीता देवी भोगता खरवार जाता चक्की से आंटा, मकई, दाल आदि पीसने का काम करते हैं। मंगरी सप्तीया भोगता से बातचीत की तथा पाया कि वहां पुराने समय से लकड़ी के बने हुए आटा चक्की का सभी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। चिड़िया, तीतर एवं मछली पकड़ने के लिए झापी बनाते हैं। लकड़ी के हल भी पुराने बने हुए हैं। सुरेश रस्सी बनाते हैं गांव सरहुल को मानते है। कर्मा पूजा, सरना उनका मूल पूजा स्थान है गांव के पाहन महंगू गंजू पाहन हैं। सरना पूजा स्थान केरागढ़ा श्री महंगू गंजू पाहन पूजा करते हैं उनका पर्व त्यौहार सरहुल में पूजा की जाती है। उस दौरान भेट में गोला, लाल एवं सफेद मुर्गा दिया जाता है। देवता गोहोल कोट देवता की पूजा लोटा पानी सिंदूर छाता द्वारा पूजा की जाती है जो कि उन्हें सुख देती है। शादी–विवाह में मंडवा गाड़ा जाता है पंडित का चलन नहीं है पाहन ही शादी करवाते हैं। मक्का, महुआ का लट्ठा बनाया जाता है। हाथ धोने के लिए दोने बनाये जाते हैं। दरबारी जाति के लोगों ने बताया कि भाषा के अन्तर्गत दरबारी जैसे कि 5 भाई है उनमें से छोटा भाई लिखते है। आर्थिक स्थिति कमजोर है जब कि वह भूमिहीन नहीं है परन्तु उत्पादन नहीं है। कच्चे घर बने है सभी बीपीएल के अन्तर्गत आते हैं। इंदिरा आवास की सुविधाए गांव में नहीं है। गांव में अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं है । सभी का रहन–सहन आदि जनजाति समुदायों के अनुसार पाया गया ।

रामेश्वर उरांव
डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

चीरो गांव–(दिनांक 30.07.2014)

गांव	–	चीरो
पंचायत	–	बोदा
ब्लॉक	–	चंदवा
कुल घर	–	85
कुल जनसंख्या	–	1897
पुरूष	–	1043
महिला	–	854
स्कूल जाने वाले बच्चे	–	173

निम्नलिखित व्यक्तियों एवं महिलाओं से मिले । पुरूषः जलिदर भोगता, बन्धू भोगता, रामचन्द्र गंझू, अनिल गंझू, शिवलोचन गंझू, पूरन भोगता, कारू गंझू, सोहराई भोगता, बिसुन भोगता, रूपलाल भोगता, बाबूलाल भोगता, चमरा भोगता, दीनू भोगता, दसरथ भोगता, राजेश भोगता, गुड्डू गंझू, जयराम गंझू, राजेश गंझू, राजू गंझू, डीबल गंझू, लालसहाय गंझू, शुकर भोगता, दसरथ भोगता, कुलदीप भोगता, रामजीत भोगता । महिलाएंः पूनम भोगता, झरनी देवी, लालो देवी, सुमन देवी, टेपी देवी, सरिता देवी, सरिता देवी, सुमंती देवी, फदवा देवी, सुनिता देवी, सुनिता देवी, भोली देवी, हीरामणी देवी, सरस्वती देवी, किसमतिया देवी, शांती देवी, सुकरी देवी सुगिया देवी, मीना देवी, सुकमनी देवी, कैली देवी, लीलवती देवी, फूलमनी देवी, रन्थी भोगत, खेदनी भोगता ।

चीरो गांव एक घाटी में है। महिलाओं के द्वारा परम्परागत आदिवासी सांस्कृतिक तरीके से अतिथियों का स्वागत गाजे–बाजे एवं लोटा पानी से हाथ–पांव धोकर किया जाता है। पत्तों से बनाये गये टोपी छतरी जो कि वह अपने रोजमर्रा अर्थात् धूप, बरसात से बचने के लिए पहना जाता है। श्री ईपा पहान गांव के पहान है जो कि भोगता हैं। पाहन गांव का पुजारी होता है। पूजा की रीति में गांव का देवता दर्शन देते हैं। यदि गांव में कोई संकट या महामारी आती है उस स्थिति में सुअर, मुर्गा आदि की बलि देते हैं। शरीर का खून विशेष परिस्थिति में दिया जाता है जब भगवान नहीं मानते हैं। उड़द दाल, महुआ, कुड़वी गेठी कंदा घाटी में मिलता है जो कैंसर की दवा के लिए काम में आता है। गांव की शादी–विवाह पाहन करवाते हैं। चीरो गांव में देशवारी खरवार हैं। मुखिया देशवारी ललिता देवी है, सरदार सिंह मुख्य पंचायत हैं जो देशवारी हैं। इन्होंने बताया कि चीरो के रेवेन्यू रिकोर्ड में देशवारी वर्णित किया गया है। बेटी रोटी देशवारी खरवार, गंजू में होता है। परंपरा है कि सरहुल पर्व पर घड़े में पानी भरते हैं तथा वर्षा कम या अधिक होने का अनुमान लगाते हैं। हर परिवार के पास 1–2 एकड़ जमीन हैं। गांव में मिडिल स्कूल है। श्री चरकू पहान ग्राम प्रधान हैं जो भोगता जाति के हैं।

रामेश्वर उरांव
डा. रामेश्वर उरांव

कैलाखड ग्राम – दिनांक 30–7–2014

गांव	–	कैलाखड,
पंचायत	–	चेटर
ब्लॉक	–	चंदवा
कुल घर	–	28
कुल जनसंख्या	–	196
पुरूष	–	107
महिला	–	89
स्कूल जाने वाले बच्चे	–	23

निम्नलिखित व्यक्तियों से बात की :– पुरुषः सुदामा गंझू, सुरेश गंझू, गणेश गंझू, श्रीनाथ गंझू, शिवा गंझू, सुनिल गंझू, ललन गंझू, गहन गंझू, मोहन गंझू, सोहन गंझू, मंगरा गंझू, बैजु गंझू, जितेन्द्र गंझू, जगेश्वर गंझू, शंकर गंझू, रामकिशुन गंझू, तेतर गंझू, बासुदेव गंझू, रामवृक्ष गंझू, रामकुमार गंझू, रामसुन्दर गंझू, शुका गंझू, रीझु गंझू, प्रेम गंझू, बलेश्वर गंझू, देवदीप गंझू । महिलाएंः कबूतरी देवी, आशा देवी, मन्ती देवी, सुकरी देवी, चन्द्रमनी देवी, शान्ती देवी, सोनामनी देवी, रमणी देवी, राजपतिया देवी, कलावती देवी, राजमनिया देवी, बुधमनिया देवी, सरिता देवी, भगमनिया देवी, कुटला देवी, चिन्तामनी देवी, बसन्ती देवी, फुलमनी देवी, सरहुलिया देवी, रहविनिया देवी, लालो देवी, परनी देवी, सीता देवी, पार्वती देवी, चुनमुन देवी, गेन्दुवा देवी ।

तीसरा गांव में वही परम्परागत ढंग से लोटा–पानी से स्वागत किया गया है। सरिता देवी, गीता देवी जो कि भोगता जाति के है, उन्होंने स्वागत किया। पूछने पर बताया गया कि गांव में साल पेड़ (सखुआ, कचरा) आदि से सरहुल में फूल से पूजा करते हैं। खूखड़ी मसरूम जो कि साल के पेड़ के साथ उगती है उसका उपयोग करते हैं। पक्षी में मोर, गुड़री, तीतर और जानवर में सुअर आदि हैं। गोत्र में कोड़िया, सार, मछली, कछुआ, नाग, हंसदगिया, पक्षी, हथिया, हाथी आदि हैं। गांव में चुनिया है जो अस्थि चुनकर बहाने का काम करते हैं।

गांव के पहान बैजू गंजू शादी–विवाह गठजोड़ बंधवाते हैं और शादी में बकरा काटते हैं। गोर लगन पूजा होती है। शादी–विवाह में नाच–गान, रीति–रिवाज खरवार भोगता, देशवारी सभी एक जैसे ही हैं। नगाढ़ा, ढोल आदि का प्रचलन है।

खरवार भोगता समाज संघ ने अध्यक्ष महोदय से 30.07.2014 को मिलकर खरवार जनजाति को आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। (कापी संलग्न है)

रामेश्वर 3/1/15
डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

विश्लेषण

गांव में पाया गया कि खरवार के सभी उपजाति भोगता (देशवारी, सूर्यवंशी, पटबन्दी, द्वालबंदी, खैरी तथा माझिया) स्थान परिवर्तन के कारण अपने मूल गोत्र को भूलते गए है सभी उपजातियों अपने गोत्र–चिन्ह को पेड़–पौधा, पशु–पक्षी, इत्यादि पर आधारित मानते हैं तथा अपने गोत्र–चिन्ह से संबंधित पेड़–पौधा एवं पशु–पक्षी को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं अपने गोत्र–चिह्न से संबंधित पेड़–पौधे, पशु–पक्षी या वस्तु के हानि पहुंचाने से अपने परिवार या समाज को हानि होती है। अतः अपने गोत्र–चिह्न से संबंधित पेड़–पौधे, पशु–पक्षी या वस्तु का किसी तरह से उपयोग में नहीं लाते हैं अर्थात् अपने गोत्र से संबंधित चीजों की रक्षा करना अपना धर्म मानते है। इन उपजातियों के गोत्र चिह्न है मुख्य रूप से बेसरा, हथ्यिा, कच्छप, कुअरदार, सरनिया, नीलकंठ, कौड़िया, केसरवार, शाहिल एवं कछुआ जैसे बहुतेरे (72) गोत्र हैं।

सामाजिक स्थिति– पाया गया कि खरवार/भोगता समाज की उप जातियों में बैगा एवं पाहन हैं जो मुख्यतः अपने परम्परागत रीति–रिवाज से देवी–देवताओं की समय–समय पर पूजा अर्चना करते हैं बैगा एवं पाहन का पद वंशानुगत होता है अर्थात् किसी बैगा एवं पाहन की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी पुत्र होता है। खरवार/भोगता समाज के सभी उपजातियों में सामाजिक व्यवस्था एक तरह की है, साथ ही सामाजिक स्तर पर किसी भी जाति/समुदाय से किसी तरह का भेदभाव नहीं है।

जन्म संस्कार– खरवार/भोगता के उपजाति देशवारी, द्वालबंदी, पटबन्दी खैरी, सूर्यवंशी तथा माझिया एवं गंझू हिन्दू धर्म से प्रभावित है तथा इसके अनुरूप अपने सभी संस्कारों को पूरा करते हैं। उपर्युक्त सभी उपजातियां हिन्दू धर्म के अनुरूप ही बच्चा जन्म के पूर्व एवं बाद में भी देख–भाल करते हैं गर्भवती महिला को उस अवधि में कुछ निषेध भी रहता है। बच्चा जन्म के समय परम्परागत स्थानीय दाई का सहयोग लेते है। प्रसव के बाद परम्परागत दाई ही छठी संस्कार होने तक जच्चा–बच्चा दोनों का देख–भाल करती है। उसके बदले उसे कुछ अनाज, कपड़ा एवं नगद रूपये भी पारिश्रमिकम के रूप में देते है। सतईसा जाने पर ही पिता अपने पुत्र को नहीं देखता है। इस अवसर पर अपने संबंधियों को भोजन वगैरह कराने की भी व्यवस्था की जाती है।

छठी संस्कार – खरवार के (उपजाति देशवारी पटबन्दी, द्वालबन्दी, सूर्यवंशी, खैरी तथा माझिया) में छठी संस्कार अपने पुरोहित के निर्देशानुसार शुभ मुहूर्त देख कर मनाया जाता है।

रामेश्वर उरांव
डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

विवाह संस्कार – जनजातीय परम्परा के अनुसार खरवार के उपजातियों में शादी–विवाह का संबंध स्थापित करने में गोत्र–चिह्न पर विशेष ध्यान दिया जाता है सह–गोत्रीय विवाह वर्जित है। शादी–विवाह के अवसर पर अपने पूर्वजों को भी पशु–पक्षियों की बली चढ़ाकर खुश करने की प्रथा है। साथ ही शादी–विवाह सम्पन्न कराने में स्वजातीय भोगता बूढ़े–बुजुर्गों की भूमिका विशेष रूप से रहती है वैवाहिक संबंध स्थापित करते समय अपने उपजाति में छोटे–बड़े या किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है अर्थात् सभी उपजातियां किसी भी उपजाति के साथ संबंध स्थापित कर लेती हैं। जनजातीय परम्पराओं के अनुसार लड़का–लड़की देखने जाते समय कुछ शुभ–अशुभ पर भी ध्यान दिया जाता है। अशुभ विचारधारा या क्रिया–कलाप यदि निकालते समय या रास्ते में दिख जाए तो अशुभ मानकर वहीं से वापस हो जाते हैं तथा उस घर में वैवाहिक संबंध नहीं करते हैं। खरवार के उपजातियों में लडकी पक्ष वालों द्वारा ही लड़का तलाश किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जहां जनजातीय समुदाय की बहुलता है वैसे जगहों पर लड़का पक्ष से लड़की खोजा जाता है। खरवार के सभी उपजातियों में थोड़ा बहुत अंतर होते हुए भी सभी क्षेत्रों में शादी–विवाह के विधि–विधान में लगभग समानता है।

कन्यामूल्य–खरवार जाति की किसी भी उपजाति में कन्या मूल्य देने की प्रथा नहीं है। कन्या मूल्य के स्थान पर लड़की पक्ष को कुछ चावल, दाल, सब्जी मिठाई के साथ एक बकरा देने की प्रथा है। उपर्युक्त सामग्री विवाह के अवसर पर बरातियों को खिलाने–पिलाने के लिए दिया जाता है जिससे लड़की पक्ष को आर्थिक बोझ कम पड़ता है। शादी के अवसर पर लड़का पक्ष द्वारा कन्या को कुछ आभूषण भी दिया जाता है लेकिन आभूषण देना कोई बाध्यता नहीं है। जानकारी दी गई की कुछ वर्ष पहले खरवार जाति के सभी उपजातियों में कन्या मूल्य की प्रथा थी लेकिन वर्तमान में सिर्फ मिठाई और 9 पीस पकड़ा देने की प्रथा है।

दहेज प्रथा–खरवार जाति के किसी भी उपजाति में शादी–विवाह के अवसर पर यदि तिलक दहेज का लेन–देने किया जाता है तो जातीय पंचायत द्वारा दोनों पक्ष को दस–दस हजार रूपये जुर्माना तथा 51 बार कान पकड़कर उठ–बैठ कराया जाता है अर्थात् खरवार के किसी भी उपजाति में दहेज प्रथा दण्डनीय अपराध है यदि कोई लेन–देन करता है तो उसे सामाजिक दण्ड दिया जाता है।

मरण संस्कार– बताया गया कि खरवार जाति की सभी उपजातियों में मरण–संस्कार के विधि–विधान पूर्णरूप से हिन्दू धर्म पर आधारित है अर्थात् किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् शव का प्रायः दाह–संस्कार किया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में ही शव को दफनाने की प्रथा है जैसे छोटा बच्चा, सांप काटने, गर्भवती महिला एवं संक्रामक रोग से मृत्यु के पश्चात् शव को प्रायः दफनाया जाता है जो हिन्दु धर्म में भी प्रचलित है। इसी तरह दाह–संस्कार के बाद दस दिनों तक प्रभावित

अध्यक्ष
अनुसूचित जनजाति आयोग

परिवार के सभी सदस्य को दैनिक उपभोग की कुछ चिजों पर प्रतिबंध रहता है अर्थात् सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दसकर्म के दिन प्रभावित परिवार के साथ–साथ सगे–संबंधियों का भी नाई द्वारा बाल–नाखून कटाया जाता है धोबी कपड़ा धोता है। ग्यारहवे दिन अपने पंडित (ब्राह्मण) एवं नाई के सहायोग से पिंडदान किया जाता है और बारहवे दिन अपने पंडित (ब्राह्मण) को भोजन कराया जाता है जिसे ब्राह्मण भोज भी कहा जाता है। अतः खरवार जाति के सभी उपजातियों में क्षेत्रीय भिन्नता होने के बावजूद भी लगभग मरण–संस्कार के सभी विधि–विधान हिन्दु धर्म पर आधारित है अन्य जनजातीय समाज में जिस तरह से दसकर्म के बाद भी हड़गड़ी वगैरह की प्रथा है । खरवार की उपजातियों में दसवां दिना छाया भीतर करने की प्रथा है। जब तक मृतक का छाया घर के भीतर नहीं किया जाता है जब तक मृतात्मा भटकते रहता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। अतः मृतात्मा के छाया भीतर होने के बाद उसे पूर्वजों के साथ मिला दिया जाता है जहां पर परिवार के मुखिया द्वारा अपने पूर्वजों को समय–समय पर पूजा अर्चना क्रिया जाता है।

आर्थिक स्थिति– खरवार की उप जातियों के भोगता लोग कृषि, कृषक मजदूर एवं दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करना ही मुख्य पेशा रह गया है जो आय का मुख्य स्रोत है। झारखण्ड एक ऐसा प्रदेश है जिसका अधिकांश भाग पठारी एवं जंगली क्षेत्र है । ये लोग वन संपदा पर अधिक निर्भर हैं जहां पर्याप्त सिंचाई एवं समतल भूमि का अभाव है इस कारण कृषि या कृषक मजदूरी से अपने परिवार का भरण–पोषण नहीं हो पाता है। अतः किसी न किसी रूप में दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। खरवार जाति के किसी भी उपजाति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण समाज में शैक्षणिक स्थिति का भी अभाव है परिणामतः सरकारी अथवा गैर सरकार सेवाओं में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी नही के बराबर है।

खरवार की इन उप जातियों भोगता उप जातियां (देशवारी, पटबंदी, द्वालबंदी, खैरी गंझू तथा माझिया आदि) किसी भी तरह संवैधानिक लाभ नहीं मिल रहा है जिनकी संख्या अधिक है और उनकी आर्थिक स्थिति भी वर्तमान परिवेश में काफी दयनीय है।

धार्मिक स्थिति– खरवार जाति की सभी उपजातियां मुख्य रूप से हिन्दु धर्मावालम्बी है कुछ जनसंख्या जनजाति बहुल क्षेत्रों में निवास करती हैं धार्मिक अनुष्ठान के विधि विधान जनजातीय परम्पराओं पर आधारित है। खरवार समाज के उपजाति में धार्मिक स्थल के रूप में मंडा स्थल गांवा देवती, देवी मण्डप एवं जसपुरिया आदि है जहां समय–समय पर अपने परम्परा के अनुसार पाहन बैगा आदि के सहयोग से पूजा अर्चना किया जाता है इसके साथ–साथ धार्मिक स्थल के रूप में सरना खूंटपाट

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
जनजाति आयोग

मुरकट्टी बंजारी सतकलिया देवता, बूढ़ीझरा, भोगता थान महादेव थान, मंडाघर पितृ स्थल गोरिया, बरहेत, मगर (दरहा) एवं जोगिया है जहां पर पूजा–अर्चना के समय मुर्गा–मुर्गी एवं बकरा का बलि देने की प्रथा है ।

खरवार की उपजातियों में मुख्य रूप से दूर्गापूजा, दिवाली, होली एवं रामनवमी के साथ–साथ सरहुल, कर्मा नवाखानी, सोहराई खलिहानी पूजा एवं जीतिया जैसे पर्व–त्योहारों को मनाते है। जनजातीय पर्व–त्योहार जैसे सरहुल, कर्मा नवाखानी, सोहराई एवं खलिहानी पूजा में मुख्य रूप से पाहन/बैगा के सहायोग से पूजा अर्चना किया जाता है लेकिन छठ एवं सत्यनारायण पूजा के अवसर पर मुख्य रूप से अपने पुरोहित (ब्राह्मण) एवं नाई के सहायोग से पूजा–अर्चना किया जाता है। खरवार के उपजातियों में जनजातीय पर्व–त्योहारों के साथ–साथ हिन्दू धर्मावलम्बी पर्व–त्योहार एवं देवी–देवताओं का पूजा–अर्चना किया जाता है और दोनों तरह के पर्व त्योहारों को अपने–अपने परम्परागत रीति–रिवाजों के अनुसार पूजा–अर्चना करते है जनजातीय पर्व–त्योहारों में बैगा/पाहन के सहयोग से पूजा–अर्चना के बाद बलि देने की भी प्रथा है।

खरवार जाति जिस क्षेत्र में खरवार की उपजाति की बहुलता होती है वे आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं लेकिन गोत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि सहगोत्रीय विवाह वर्जित है।

खरवार की सभी उपजाति, जनजातीय परम्परा के अनुसार अपना गोत्र चिन्ह पेड़–पौधा पर आधारित मानते है तथा अपने गोत्र से संबंधित प्रतीक को किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाते हैं ऐसा विश्वास है कि अपने गोत्र चिन्ह से संबंधित किसी वस्तु या पेड़–पौधे को हानि पहुंचाने से परिवार या समाज को हानि होती है अतः उसकी रक्षा करना अपना धर्म माना जाता है। खरवार की उपजातियों के मुख्य रूप से बेसरा, कच्छप, कुंअरदार, सरणिया, नीलकंठ, कौड़िया, केसरवार साहिल एवं कछुआ जैसे बृहत्तर है जिसका शादी–विवाह के अवसर पर विशेष महत्व रहता है अर्थात् सह–गोत्रीय वैवाहिक संबंध वर्जित है। सर्वेक्षित तथ्यों के आधार पर यह देखा गया कि वर्तमान परिवेश में खरवार जाति की किसी भी उपजाति की अपनी भाषा नहीं है अपने–अपने निवास क्षेत्र में स्थानीय भाषा का व्यवहार किया जाता है।

खरवार की सभी उपजातियों में विधूर/विधवा का पुनः वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। जिसे सगाई विवाह के नाम से जाना जाता है साथ ही देवर–भाभी (विधवा) का विवाह भी उम्र का ज्यादा अंतर नहीं होने पर प्रचलित है। कन्या मूल्य के रूप में नकद राशि देने की प्रथा नहीं है लेकिन लड़का पक्ष से खाने–पीने के सामान चावल, दाल, सब्जी एवं बकरा देने की प्रथा है। इसी तरह तिलक–दहेज की प्रथा इस समाज में नहीं है।

रामेश्वर उरांव
डॉ. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग ने 31–7–2014 को डॉ0 प्रकाश उरांव, निदेशक (सेवानिवृत), जनजातीय कल्याण शौध संस्थान, रांची से तमाड़ में चर्चा की तथा उन्होंने अवगत कराया कि उन्होंने अपना मन्तव्य, शोध एवं वस्तुस्थिति, कल्याण (अल्पसंख्यक सहित) विभाग, झारखंड सरकार, रांची द्वारा दिनांक 6–3–2002 को निदेशित, माननीय मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक 237 (आ0) दिनांक 5–3–2002 के साथ संलग्न खरवार, भोगता समाज विकास संघ हिनु रांची के प्राप्त अभ्यावेदन पत्रांक 210 दिनांक 1–3–2002 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर विस्तृत जांच प्रतिवेदन संस्थान के पत्रांक 473 दिनांक 5–10–2004 के द्वारा विभाग को प्रेषित किया था । प्रतिवेदन के आधार पर खरवार जनजाति के संबंध में निम्नलिखित मन्तव्य व्यक्त किया गया है:–

1. भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति अधिसूचित सूची में झारखंड डमें खरवार अनुसूचित जनजाति सूची कमांक 16 में दर्ज है ।
2. परन्तु शोध एवं सर्वे के आलोक में खरवार अनुसूचित जनजाति की छः उपजाति यथा भोगता, मंझू, देषवारी, ढालबन्दी (दौलतबन्दी) पट्टबन्दी, खैरी (खेरी) सूर्यवंशी एवं माझिया भी आते हैं ।
3. परन्तु भोगता, झारखण्ड राज्य की जाति सूची 2001 (भारत की जनगणना 2001) अधिसूचित है जिसमें अनुसूचति जाति कमांक 3 में दर्ज है ।
4. खरवार जनजाति की उप जातियों में भी निहित जनजातीय आदिम विशेषताएं एवं विशिष्ट संस्कृति देखी जा सकती है, जैसे– पेड़–पौधे, पशु–पक्षी के नाम पर आधारित गोत्र चिन्ह मुख्य रूप से बेसरा, हथिया, कच्छप, कुंअरदार, सरनिया, नीलकंड, केसरवार, कौडिया, शाहिल, बधवार एवं कच्छुआ आदि हैं ।
5. खरवार जनजाति के उपर्युक्त सभी उपजाति में अन्य समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोचन की भावना विधमान है ।
6. खरवार जनजाति में दहेज प्रथा के स्थान पर कन्या मूल्य की प्रथा प्रचलित है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मन्तव्य दिया गया है कि खरवार के उपजाति भोगता, गंझू, देशवारी, ढालबंदी (दौलतबंदी), पट्टबंदी, खैरी (खेरी) एवं माझियां का गोत्र चिन्ह, आदिम विशिष्टता एवं विशेष संस्कृति मौजूद है । खरवार चूंकि अनुसूचित जनजाति है और उनके उपजाति में उपर्युक्त जातियां दर्ज है, फिर भी जाति प्रमाण–पत्र निर्गत के पूर्व स्थानीय जांच अवश्य की जानी चाहिए ।

रामेश्वर उरांव 3/1/15

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

निष्कर्ष:

झारखण्ड प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरवार जाति निवास करती है जिसकी उपजाति भोगता देशवारी, गंझू, मांझिया, खैरी, राउत, द्वालबंदी एवं पटबंदी है। भौगोलिक रूप से कुछ भिन्नता होते हुए भी इनकी भाषा, संस्कृति, धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान, सामाजिक संगठन राजनैतिक एवं शैक्षिक स्थिति में समानता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि उपर्युक्त सभी उपजातियां वर्तमान परिवेश में मूल रूप से खरवार समुदाय के पर्याय हैं। यहां यह कहना आवश्यक है कि खरवार के पर्याय भोगता जाति के साथ किसी प्रकार की अस्पृश्यता प्रचलित नहीं है ।

अतः पाया गया कि 'भोग्ता (Bhogta)', 'देशवारी (Deshwari)', 'गंजू (Ganjhu)', 'दौतलबंडी (Dautalbandi)',(दौवलबंडी) (Dwalbndi) 'पटबंडी (Patbandi)', 'रौत (Raut)', 'माझिया (Maajhia)' और 'खैरी (Khairi)' (केरी) (Kari)' जातियों के लोगों का जीवन झारखण्ड राज्य की जनजातियों की परिस्थिति के अनुरूप ही है। अतः 'खरवार (Kharwar)' समुदाय के पर्याय के रूप में ''भोग्ता (Bhogta)', 'देशवारी (Deshwari)', 'गंजू (Ganjhu)', 'दौतलबंडी (Dautalbandi)',(दौवलबंडी)(Dwalbndi)'पटबंडी (Patbandi)', 'रौत (Raut)', 'माझिया (Maajhia)' और 'खैरी (Khairi)' (केरी) (Kari)' जातियों के लोगों को भी राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की आयोग संस्तुति करता है ।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली